मुकदमा 95 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रघुनाथ बनाम राजकेश वगै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
22/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित पत्रा० वास्ते बहस दिनांक 1/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
1/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
27/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित पत्रा० वास्ते बहस दिनांक 4/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
04/06/2025	पत्रावली पेश हुई। अधि. उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा है एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 09/06/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
09/06/2025	पत्रावली पेश हुई अधि० उभयपक्ष उपस्थित। अधि० उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/06/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/06/2025	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली के बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 94/2024

1. रघुनाथ पुत्र नाहर सिंह जाति गूर्जर निवासी बारहमाफी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

बनाम

1. रामकेश पुत्र रमेशचन्द जाति खटीक निवासी निठार तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील उच्चैन

असल अप्रार्थीगण

3. महेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति गुर्जर निवासी बारहमाफी तहसील उच्चैन
4. अमृत कौर पत्नि महेन्द्र सिंह(मृतक)
   4/1 अमीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह(मृतक)
   4/1/1 बर्फी देवी वेवा अमीर सिंह
   4/1/2 सचिन
   4/1/3 आकाश पुत्रान अमीर सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम बारहमाफी तहसील उच्चैन।
   4/2 अजय सिंह
   4/3 विजय सिंह पुत्रान महेन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी बारहमाफी तहसील उच्चैन।
   4/4 राजेश पुत्री अमृत कौर पत्नि हरवीर जाति गुर्जर निवासी गढी जालिम सिंह तहसील व जिला भरतपुर।
   4/5 मिथलेश पुत्री अमृत कौर पत्नि बासदेव(मृतक)
   4/5/1 बासदेव पुत्र गिर्राज
   4/5/2 कौशल पुत्र बासदेव
   4/5/3 निक्की पुत्री बासदेव जाति गुर्जर निवासी गढी जालिम सिंह तहसील व जिला भरतपुर।
5. विजेन्द्र कौर पत्नि रघुनाथ
6. सुरजभान पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी बारहमाफी तहसील उच्चैन।

.....तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—10.06.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि सेटिलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 186/37 में

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

सायल व तरतीवी गैरसायल 35 वीघा 1 वि0 के काविज खतेदार व काश्तकार थे जिसमें 28 वीघा भूमि एक स्थान सेटलमेंट से पूर्व खसरा नंवर 186/37 में सायल एवं तरतीवी गैर सायलान 35 वीघा एक विस्वा के काविज खातेदार व काश्तकार थे। जिसमें 28 वीघा भूमि एक स्थान पर थी जिसके अनुसार ही सायल एवं तरतीवी गैर सायलान काविज चले आ रहे हैं। सेटलमेंट विभाग द्वारा पूर्व के कब्जे के अनुसार सायल एवं तरतीवी गैर सायलान का रकवा नक्शा में सन 2005 के मुताबिक 198 एक स्थान पर बनाया व 204/198 दूसरे स्थान पर बनाया परंतु राजस्व रिकॉर्ड में इस नक्शा के विपरीत सायल एवं तरतीवी गैर सायलान का रकवा गत क्षेत्रफल 35 वीघा एक विस्वा का ही एक ही खसरा नंवर 198 रकवा 5.67 हेक्टेयर का बना दिया जो गत क्षेत्रफल 28 वीघा से अधिक दर्शाकर अन्य खातेदारों के खसरा नंवरों में मिला दिया और जिस जगह 7 वीघा 01 विस्वा का वर्तमान क्षेत्रफल 1.13 है0 पर सायल एवं तरतीवी गैर सायलान खसरा नंवर 204/198 पर काविज थे। वह खसरा नंवर राजस्व रिकॉर्ड में सायल एवं तरतीवी गैर सायलान का नहीं दर्शाया गया है बल्कि खसरा नंवर 204 पर गैर सायल संख्या एक के दानदाता पूरनदेई पत्नी छीतरिया, प्रेम सिंह पुत्र वदन सिंह, श्रीराम पुत्र छीतरिया, साहब सिंह पुत्र नत्थी, सतीश पुत्र छीतरिया का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया। जबकि खसरा नंवर 204 वर्तमान पर वे कभी काविज नहीं रहे तथा सायल एवं तरतीवी गैर सायलान का खसरा नंवर 204/198 पर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अंकित नहीं की गई तथा खसरा नंवर 204/198 को नक्शे से विलोपित कर दिया क्योंकि गैरसायल संख्या एक ने अवैध दान पत्र दिनांक 10.08.2022 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान खसरा नंवर 204 रकवा 0.97 हेक्टेयर का इंद्राज अपने नाम करवा लिया जिसकी आड़ में वह इस खसरा नंवर 204 को रहन वय मुंतकिल करने पर उतारू हैं। एवं सायल एवं तरतीवी गैर सायलान के कब्जे में हस्तक्षेप करने की धमकी देता है तथा उसने दिनांक 21.7.2024 को अपने साथ कतिपय शक्तिशाली वह आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को साथ लाकर धमकी दी है जवकि उसको ऐसी धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है ऐसी धमकी से सायल एवं तरतीवी गैर सायलान के कब्जे व खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होता है। जवकि सायल एवं तरतीवी गैर सायलान खसरा नंवर 204 रकवा 0.97 हेक्टेयर वाके ग्राम रूंध खरका तहसील उच्चैन पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने एवं गैरसायलान संख्या एक का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन करवाने के अधिकारी है तथा गैरसायल संख्या 2 से सायल व तरतीवी गैरसायल के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पुराने रकवे के अनुसार 7 वीघा एक विस्वा की जगह नक्शा में 204/198 अंकित कर नक्शा दुरस्त करवाने के अधिकारी हैं । वर्तमान खसरा नंवर 204 व 204/198 की प्रमाणित प्रतिलिपि हल्का पटवारी से दिनांक 26.12 .2021 को प्राप्त की जिसमें खसरा नंवर 204 व 204/198 स्पष्ट अंकित थे और उस समय तक सायल एवं तरतीवी गैर सायलान को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी परंतु दिनांक 28.2.2022 को नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर सायल एवं तरतीवी गैर सायलान को जानकारी हुई की खसरा नंवर 204/198 को विलोपित कर दिया है और केवल खसरा नंवर 204 ही उसकी जगह वनाकर गैरसायल संख्या एक के दानदाताओं के नाम इंद्राज कर दिया है जिससे सायल एवं तरतीवी गैर सायलान व्यथित हैं और उनका पुराना रकवा के स्थान पर गलत नक्शा व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

में इंद्राज कर किसी न किसी वहाने से सायल एवं तरतीवी गैर सायलान को वेदखल करना चाहते हैं। वह रहन वय मुंतकील करना चाहते हैं इसलिए सायल एवं तरतीवी गैर सायलान अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कराने के अधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र से संवंधित विवादित विषयवस्तु कृषि भूमि में सायल के साथ तरतीवी गैर सायल संख्या 03 लगायत 06 से खातेदार व काविज काश्तकारान है।। और इन हिस्सेदारान के हित सायल से अलग नहीं है। वल्कि समान है परंतु दावा करते समय वे उपस्थित नहीं हो सके इसलिए उन्हें तरतीवी गैरसायलान बनाया गया है और सायल द्वारा उनके विरुद्ध दावा में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा उक्तवाद पत्र झूठे तथ्यों पर सच्चाई को छुपाते हुए पेश किया गया है। सच्चाई यह है उक्त आराजी का पुराना खसरा नंबर 37 रकवा 134 बीघा 16 विस्वा था । तथा खसरा नंवर 37 का सेटलमेंट से काफी पहले नंबर तोड़ दिए गए एवं उक्त खसरा नंवर 37 के 180 लगायत 191 कुल 12 खसरा नंबर बनाए गए। तथा सेटलमेंट से काफी समय पहले प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण का खसरा नंवर 186/37 रकवा 35 वीघा 01 विस्वा एक ही स्थान पर मौके के अनुसार वनाया गया एवं प्रार्थी का खसरा साविक मौके के अनुसार 188/37 रखवा 6 वीघा एवं 189/37 रखवा पांच बीघा थे तथा उक्त साबिक खसरा नंबर के हाल खसरा नंवर 203/0.81, 204/0.97 हेक्टेयर बनाए गए तथा उक्त सभी नंबरान मौके के अनुसार बनाए गए। इस वात से प्रमाणित है कि उक्त खसरा नंबर 37 से 12 खसरा नंबर बनाए थे एवं पचासों खातेदार थे लेकिन महज एक प्रार्थी ही आपत्ति कर रहा है। दूसरे प्रार्थी एक दबंग एवं राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है जो अपनी दबंगता एवं पहुंच के दम पर उक्त आराजी को विवादित कर उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रार्थी ने दौराने सेटलमेंट सेटलमेंट कर्मचारियों से मिली भगत कर खसरा नंबर 198 को जैसे तैसे कर खसरा नंवर 204 से मिलाने का प्रयास किया लेकिन उक्त दोनों नंबर अलग थे इस कारण प्रार्थी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ एवं दावा मय प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है। उक्त आराजी को तोड़कर पूर्व में ही पृथक नंबर मौके अनुसार बना दिए जबकि प्रार्थी का यह कहना है कि दौराने सेटलमेंट उक्त आरजी का 35 वीघा 01 विस्वा का नंबर 198 गलत बनाया है एवं उक्त आराजी 198 दो जगह है जबकि एक खसरा नंबर दो जगह नहीं हो सकता। इसी विषय पर प्रार्थना पत्र काविल खारिजी है। अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 06 की ओर से जबाब पेश नहीं करना चाहा है। अप्रार्थी संख्या 02 के लिये जबाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बाबजूद जबाव पेश नहीं किये जाने के कारण इनका जबाब बंद किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की वहस सुनी गई। अभि0 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया है कि उक्त विवादित आराजी बाके ग्राम रूंध खरका में स्थित है जिसमें प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार हैं। दौराने सेटलमेंट संवत् 2005 में साविक ख0 नं0 198 रकवा 28 बीघा एक स्थान पर एवं ख0नं0 204/198 रकबा 07 बीघा 01 विस्वा दूसरे स्थान पर कायम किया गया। नये नक्शे में ख0 नं0 204/198 को विलोपित कर इसके स्थान पर केवल ख0 नं0 204 बना दिया गया। चूकि पहले नक्शे में 204,

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

204/198, 203 अलग–अलग बने हुए हैं। प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर आज भी कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण के द्वारा तीसरे आदमी को दौराने स्टे उक्त विवादित आराजी का दानपत्र भी कराया गया । अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद रिकार्ड एवं मौके की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभि0 अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि ख0 नं0 198 रकबा 5.67 है0 जिसका रकबा 35 बीघा 01 विस्वा के बराबर बैठता है जिसमें से रकबा 4.48 है0 प्रार्थी के घरवालों का है। प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण चाहते हैं कि उनको रकवा एक जगह न मिलकर दो जगह मिले क्योंकि प्रार्थी ख0 नं0 204 के चपेटा स्थित सरकारी जमीन का कब्जा करना चाहता है। उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी ने 136 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जो कि इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी ने उक्त वाद पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2070–2073 में ख0 नं0 186/37 में प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण सहखातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के साथ संलग्न पटवार हल्का खरका बाके ग्राम रूंध खरका दिनांक 06.05.2024 की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान नक्शाशीट में प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण का रकबा ख0 नं0 198 में एक ही जगह अंकित है। लेकिनं मौके पर प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण के रकबा वाली भूमि दो जगह भिन्न –भिन्न मौके पर कब्जा स्थित है। इस बावत् प्रार्थी द्वारा पूर्व में धारा 136 द्वारा नक्शा दुरस्ती का मुकदमा पेश किया गया था जो दिनांक 22.07.2024 को खारिज किया जा चुका है। उसके पश्चात प्रार्थी द्वारा धारा 88,89 के तहत दिनांक 26.07.2024 को उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः वाद की बहुलता को रोकने के लिये एवं ताफैसला विवादित आराजी को संरक्षित रखने के लिए उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी ख0 नं0 204/0.97 है0 वाके ग्राम रूंध खरका तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर